संख्या-570/2023/3291/001-41-2023-140-Budget-2023

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 23 अगस्त, 2023**

विषय :-जनपद गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में सोलर रूफ-टॉप सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2263/6-1-1/(1662)/2022-23**,** दिनांक 13.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में सोलर रूफ-टॉप सिस्टम की स्थापना के कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**,** गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 167.42 लाख के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था चयनित करते हुए अप्रेजल समिति द्वारा आकंलित की गयी लागत रू0 165.78 लाख के सापेक्ष प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 138.36 लाख + जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 241/2023/1313/001-41-2023-140-बजट-2023, दिनांक 24.03.2023 द्वारा निर्गत की गयी थी।

3. तत्क्रम में सन्दर्भगत पत्र दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन रू0 139.75 लाख उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नत प्रायोजना को अप्रेजल समिति की दिनांक 29.07.2023 को सम्पन्न बैठक में रू0 138.36 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर मूल्यांकित किया गया।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 139.75 लाख के सापेक्ष रू0 138.36 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-241/2023/1313/001-41-2023-140-बजट-2023, दिनांक 24.03.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

6. प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 24.03.2023 में उल्लिखित नियमों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के यथासंशोधित शासनादेश संख्या-12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77, दिनांक 15.06.2018 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
6. प्रबंध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0 लखनऊ।
7. परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0पी0सी0एल0, इकाई-29 गोरखपुर।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालयए लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी गोरखपुर, आजमगढ़ मण्डल, गोरखपुर।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।